भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3203
दिनांक 12.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलापूर्ति योजनाएं

3203. श्रीमती चिंता अनुराधाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जल की कमी वाले राज्यों में लागू की जाने वाली ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में देश में लंबित विभिन्न परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत कार्यान्वित/कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन की शुरूआत की है ताकि वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की मार्फत जल संकट ग्रस्त राज्यों के ग्रामीण परिवारों सहित, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) और (ग) जल राज्य का एक विषय है। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता करती है। राज्य ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करते हैं। इसलिए, सार्वजनिक- निजी भागीदारी मोड में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं समेत, व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****